

गवालियर (म०प्र०)

96



5

Rs. 5

5 रु.

Rs. 5

INDIA

INDIA

पाँच रुपये

FIVE RUPEES

पाँच रुपये

FIVE RUPEES

R-56-II-17

दानों के पिता सुबुद्धलाल साकेत

हरिदास साकेत

2- बामन दास साकेत

3- शिवप्रसाद साकेत

4- गोविन्द साकेत

5- मंधारी साकेत

तीनों के पिता बुद्धसेन साकेत

6- शंखलाल बसोर पिता बूचड़ बसोर

7- मोतीलाल

8- सुदर्शन

9- हनुमत

तीनों के पिता शंखलाल बसोर

सभी निवासी ग्राम सरई तहसील सरई, जिला सिंगरौली (म०प्र०)

निगरानीकर्तागण

बनाम्

1- विजयकान्त तिवारी तनय कौशल प्रसाद तिवारी निवासी साकिन सरई तहसील सरई जिला सिंगरौली (म०प्र०)

2- शासन म०प्र०

गैरनिगरानीकर्तागण / अनावेदकगण

निगरानी विरुद्ध आदेश राजस्व निरीक्षक मण्डल तहसील सरई जिला सिंगरौली म०प्र० के क्रमांक 64-अ/12/2014-15 आदेश दिनांक 22/06/15

निगरानी अन्तर्गत धारा 50 म०प्र० भू-राजस्व, संहिता 1959 ई०

दुष्यन्त कुमार सिंह

एडवोकेट

म.प्र. उच्च न्यायालय एवं रेवेन्यू बोर्ड गवालियर-३

शाखा प्रभारी (रा.भ.)  
सादावत महाशिवकता, गवालियर

शा.प्र. नि.म.  
11/2/16

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश-ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक निगरानी-56-दो/2017

जिला सिंगरौली

हरिदास विरूद्ध विजयकांत व शासन

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
06-03-2019	<p>1. प्रकरण प्रस्तुत ।</p> <p>2. पक्षकारों की ओर से कोई उपस्थित नहीं ।</p> <p>3. प्रस्तुत निगरानी राजस्व निरीक्षक सरई के प्रकरण क्रमांक 64/अ-12/2014-15 में पारित आदेश दिनांक 22-06-2015 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई थी ।</p> <p>4. म.प्र. भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 129 में किये गये संशोधनवर्ष 2018 के अनुसार सीमांकन आदेश के विरूद्ध आपत्ति सुनवाई के अधिकार अनुविभागीय अधिकारी को दिये गये है ।</p> <p>5. अतः प्रकरण सक्षम न्यायालय में सुनवाई हेतु अनुविभागीय अधिकारी सरई को प्रत्यायोजित किया जाता है । उभय पक्ष दिनांक 03-05-2019 को अनुविभागीय अधिकारी सरई के यहां उपस्थित हो । अधीनस्थ न्यायालय को अभिलेख भेजा जाये ।</p>	<p>(आर.के. जैन) सदस्य</p> <p>06.3.2019</p>